day when the Vidyalayas reopen. No overtime is paid to them for performing their normal duties. However, they are entitled to get Over Time Allowance, if they are put on duty on off days, national and other holidays admissible to them.

गैस पेपरों का प्रकाशन

3444. श्रीमती सत्या बहिन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अध्यापकों द्वारा ट्यूशनों का सहारा लेने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) सरकार द्वारा अवश्यंभावी सफलता के नाम पर कुछ शिक्षण केंद्रों द्वारा प्रकाशित गैस पेपरों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये क्या कार्यवाई की जा रही है, और

(ग) क्या सरकार इन गैस पेपरों की बिक्री को निष्प्रभावी बनाने के लिये पाठ्यक्रम और प्रश्न-पत्र तैयार करने की योजना में कुछ परिवर्तन करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो क्या इस कार्य में अध्यापकों का सहयोग प्राप्त किया जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) **में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) :**

(क) केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण नियमावली) के अन्तर्गत, केन्द्र सरकार के शिक्षकों द्वारा, प्राइवेट ट्यूशन करना पहले से ही निषेद्ध है। जहां तक राज्यों में शिक्षकों द्वारा ट्यूशन करने से रोकने का सम्बन्ध है, राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई थी कि वे शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने की प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए उचित कदम उठाएं। कुछ राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के शिक्षा अधिनियम भी प्राईवेट ट्यूशनों को प्रतिबन्धित करते हैं।

(ख) और (ग) वर्ष 1992 में यथासंशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में, परीक्षा पद्धति को सुधारने के लिए कुछ कार्यात्मक तरीकों को अपनाने का निर्धारण किया गया है। इन उपायों में स्कूलों द्वारा सतत एवम् व्यापक मूल्यांकन करना भी एक उपाय है जिसमें स्वैच्छिक तथा गैर शिक्षक पहलुओं को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अनुशासित सभी कार्यात्मिक तरीकों, जिनमें सतत एवम् विस्तृत मूल्यांकन भी शामिल है, को सभी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों तथा देश के विभिन्न स्कूल शिक्षा बोर्डों को परिचालित किया गया है, तथा उनसे यह आग्रह किया गया है कि वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कार्यवाही आरम्भ करें। प्रत्येक बोर्ड से संबद्ध स्कूल प्रणाली के सम्बन्ध में सतत एवम् व्यापक मूल्यांकन सहित परीक्षा पद्धति के सुधार के इन तरीकों, के कार्यान्वयन की वास्तविक जिम्मेदारी बोर्डों की होती है। सतत एवम् व्यापक मूल्यांकन के क्रमिक कार्यान्वयन से यह आशा की जा सकती है कि बाह्य परीक्षाओं की प्रधानता तथा गैस पेपरों की मांग कम हो जाएगी। गैस पेपरों के प्रकाशन को प्रतिबन्धित करने का मामला, राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों के स्कूल शिक्षा विभागों की प्रशासनिक शक्तियों के अधिकार क्षेत्र में आता है। परीक्षा पद्धति में सुधार करने संबंधी सभी विषयों में केन्द्र सरकार की भूमिका केवल सलाहकार की होगी।

तथापि, दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिल्ली प्रशासन के सभी स्कूलों में दसवीं और बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए पूर्व बोर्ड परीक्षाएं ली जा रही हैं। केन्द्रीय विद्यालय संगठन से प्राप्त सूचना के अनुसार, दसवीं और बारहवीं कक्षाओं जिनकी परीक्षाएं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाती है, को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं के लिए सतत एवम् व्यापक मूल्यांकन पद्धति को केन्द्रीय विद्यालयों में भी अपनाया जाए।